राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

(I) श्री अमराराम, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014, जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन हेतु खाद्यानों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिये सरकारी भूमि की प्रीमियम दर निर्धारित की गई हैं;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/9 दिनांक 4.8.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.9(112)राज-6/2012/10 दिनांक 13.8.2014, जिसके द्वारा उदयपुर संभाग में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में दिनांक 16.8.2014 से 15.9.2014 तक की अवधि के लिये ग्राम पंचायतों के स्थान पर नामान्तरकरण के मामलों की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/12 दिनांक 8.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.15(3)राज-1/2014/11 दिनांक 8.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/3 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये संभागीय आयुक्त को उनके संभाग क्षेत्र हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त नियुक्त किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में शहरी क्षेत्र सीमा से दूरी के आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया गया है;

जारी..2..

8- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.2014, जिसके द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राईवेट कंपनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने हेतु अवाप्त भू-क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है;

9- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/2014/15 दिनांक 20.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/पार्ट/16 दिनांक 31.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या:एफ.15(1)राज-6/2014 दिनांक 10.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा-183(बी) के अन्तर्गत पेसा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा धारित भूमि के अतिचारी को बेदखल करने हेतु प्रावधान किये गये हैं;

12- अधिसूचना संख्या:एफ.9(43)राज-6/14/17 दिनांक 19.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या:एफ.6(34)राज-6/2014/18 दिनांक 28.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

14- अधिसूचना संख्या:एफ.6(26)राज-6/2014/19 दिनांक 16.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(II) श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कृषि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

<u>कृषि विभाग</u>

1- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 16.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-40 के अन्तर्गत अनुसूची में संशोधन किया गया हैं;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 27.10.2014, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-40 के अन्तर्गत अनुसूची में संशोधन किया गया हैं; एवं

3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(24कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 7.1.2015, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया हैं;

जारी..3..

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे ।

II - श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014;

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014;

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का नवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014; एवं

4- राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2013-2014.

III- श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेगें:-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-2014: एवं

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014.

IV- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-2012;

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-2014; एवं

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-2012.

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

I- श्री बनवारी लाल सिंघल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

जारी..4..

I- वित्त, प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, कार्मिक, आयोजना, उद्योग, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, युवा मामले एवं खेल, खनिज, गृह, वक्फ, कृषि, सिंचित क्षेत्रीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम एवं नियोजन, कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व, सूचना एवं जन सम्पर्क, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का तृतीय प्रतिवेदन;

II- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि एवं विधिक कार्य, ऊर्जा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन, चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, पर्यटन, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय आदि विभागों से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का चतुर्थ प्रतिवेदन;

III- वित्त, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन, कार्मिक, आबकारी, सैनिक कल्याण, उद्योग, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, युवा मामले एवं खेल, सम्पदा, खान, गृह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वक्फ, वन, कृषि, सिंचित क्षेत्रीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, श्रम एवं नियोजन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का पंचम प्रतिवेदन;

IV- विधि एवं न्याय, जल संसाधन, निर्वाचन, ऊर्जा, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, पंचायती राज, इंदिरा गांधी नहर, भाषा, मंत्रीमण्डल सचिवालय, सहायता एवं अकाल, पर्यटन, पर्यावरण, सूचना एवं जन सम्पर्क, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास, नागरिक उड्डयन, उच्च शिक्षा, खादी एवं ग्रामोद्योग, आयुर्वेद, भू-संरक्षण, उपनिवेशन, संस्कृत शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार, ग्रामीण विकास रोजगार गारण्टी एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का षष्टम प्रतिवेदन;

V- वित्त, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन, उद्योग, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, युवा मामले एवं खेल, खान, गृह, देवस्थान, वन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला साहित्य एवं संस्कृति एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का सप्तम प्रतिवेदन; एवं

VI- पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, पंचायती राज, मंत्रीमण्डल सचिवालय, जन अभाव अभियोग निराकरण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, पर्यटन, पर्यावरण, सूचना एवं जन सम्पर्क, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, नीति निर्धारण, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, उपनिवेशन, संस्कृत शिक्षा, कृषि विपणन, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, चिकित्सा शिक्षा एवं भू-संरक्षण विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-2015 का अष्टम प्रतिवेदन।

जारी..5..

II- श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' 2014-2015, प्राक्कलन समिति 'ख' 2012-13 के चौबीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट कृषि विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख' 2014-2015 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

4. याचिका का उपस्थापन

श्रीमती अनिता(6), सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र नगर में गौ तस्करी को रोकने के लिये गौ पुलिस चौकी की स्थापना बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री जोगाराम पटेल (वि.सं.-67), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा:-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 फरवरी, 2015